प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 12.11.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधो पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में प्रशिक्षु उ0नि0 संदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 623/2024 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त शाह मोहम्मद को ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.11.2024 को डा0 जेपी गौड़ अस्पताल के पास से वादिनी मुकदमा के पति के द्वारा ई-रिक्शा खड़ा किया गया था जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के संबंध थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाह मोहम्मद पुत्र हयात मोहम्मद निवासी रसूलपुर कामरेड नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 623/2024 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद ई-रिक्शा नं0 UP53JT1348 बरामद

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रशिक्षु0 उ0नि0 संदीप कुमार थाना गोरखनाथ गोरखपुर
2. कां0 सचिन्द्र शाह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. कां0 बृजेश कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर